भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 525

उत्तर देने की तारीख 28.11.2024

खादी कताई करने वाले और बुनकर

525. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री राजेश वर्मा:
श्री नरेश गणपत म्हस्के:
श्रीमती शांभवी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खादी कताई करने वाले और बुनकरों की कुल संख्या कितनी है और सरकार से लाभ पाने वाले कताई करने वालों और बुनकरों की संख्या कितनी है;

(ख) सैलई समृद्धि योजना के तहत पंजीकृत खादी कारीगरों की संख्या कितनी है तथा योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाले कारीगरों की संख्या कितनी है;

(ग) कितनी धनराशि के खादी निर्मित उत्पादों का निर्यात किया गया है और देश में कितनी धनराशि के खादी उत्पाद बेचे गए हैं;

(घ) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के तहत कताई करने वालों और बुनकरों के अवसरों और वेतन में किस प्रकार वृद्धि होगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और आर्थिक विकास में मदद मिले; और

(ङ) सरकार द्वारा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खादी निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) खादी क्षेत्र में लगभग 4.99 लाख व्यक्ति संलग्न हैं, जिनमें खादी कताई-कर्ता, बुनकर, खादी कार्यकर्ता और अन्य कारीगर शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, खादी संवर्धन कार्यकलापों पर आधारित संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए) के अंतर्गत 1.49 लाख खादी कारीगर सीधे तौर पर लाभान्वित हुए हैं।

(ख) नवंबर 2023 में ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत सिलाई समृद्धि योजना/सिलाई मशीन ऑपरेटर को एक नई कार्यकलाप के रूप में मंजूरी दी गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, 1000 कारीगरों को सहायता देने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है।

(ग) वर्ष 2023-24 के दौरान, 37.88 लाख रुपये की खादी सहित 271.85 करोड़ रुपये के केवीआई उत्पादों का निर्यात किया गया तथा 6496.00 करोड़ रुपये की खादी सहित 155673.13 करोड़ रुपये के केवीआई उत्पादों की बिक्री की गई।

(घ) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अंतर्गत कताई-कर्ताओं एवं बुनकरों के लिए रोजगार के अवसर और मजदूरी बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और आर्थिक वृद्धि में दी गई सहायता का विवरण इस प्रकार है:

i. संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए): एमएमडीए के अंतर्गत, सूती, ऊनी, पॉलीवस्त्र के खादी संस्थानों के मामले में कारीगरों को एमएमडीए का 35% प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया जाता है तथा रेशम के खादी संस्थानों के मामले में कारीगरों को एमएमडीए का 30% प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया जाता है।

ii. खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम' के अंतर्गत कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए, व्यक्तिगत वर्कशेड के निर्माण के लिए 1,20,000/- रुपये या वर्कशेड की कुल लागत का 75% {पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 90%) और समूह वर्कशेड (न्यूनतम 5 और अधिकतम 15 कारीगर) के लिए, प्रति कारीगर 80,000/- रुपये या समूह वर्कशेड की कुल लागत का 75% (पूर्वोत्तर के लिए 90%), जो भी कम हो, की सहायता प्रदान की जाती है।

iii. कताई मजदूरी को 10.00 रुपये प्रति लच्छा से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लच्छा करके खादी कारीगरों की आय में वृद्धि तथा दिनांक 02.10.2024 से सूती खादी, ऊनी खादी और पॉलीवस्त्र के लिए बुनाई मजदूरी में 7% की वृद्धि।

(ङ) घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में केवीआई उत्पादों के संवर्धन हेतु केवीआईसी द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

i. हब और स्पोक मॉडल पर **खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र**, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) नई दिल्ली को निफ्ट अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और शिलांग के साथ-साथ हब के रूप में स्थापित किया गया है, ताकि वैश्विक मानकों के लिए बेंचमार्क डिजाइन प्रक्रियाओं की स्थापना, नए वस्त्र और उत्पाद बनाने, वस्त्रों के लिए गुणवत्ता मानकों का प्रचार-प्रसार, नई खादी के बारे में दिलचस्प आख्यान बनाकर ब्रांडिंग और प्रचार, नए खादी उत्पादों के लिए रचनात्मक विजुअल विपणन और पैकेजिंग तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खादी फैशन शो और प्रदर्शनियों के आयोजन के माध्यम से खादी की वैश्विक पहुंच को बढ़ाया जा सके।

ii. घरेलू स्तर पर केवीआई उत्पादों को सुलभ बनाने के लिए विभिन्न स्तर की प्रदर्शनियों का आयोजन करना तथा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में सहभागिता करना।

iii. क्रेता से उपभोक्ता को उत्पाद की बिक्री करने के उद्देश्य से जेम पोर्टल (gem.gov.in) के माध्यम से एमएसएमई के लिए ई-मार्केट लिंकेज और ई-मार्केटिंग पोर्टल (www.ekhadiindia.com) के माध्यम से उत्पाद आपूर्ति/विपणन तंत्र की व्यवस्था की गई।

iv. खादी के पारखी और डिजाइनरों दोनों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न शहरी केंद्रों और टियर-2 शहरों में खादी लाउंज की स्थापना की गई।

v. खादी उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकारी विभागों और विभिन्न सरकारी संगठनों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के थोक खरीदारों की आवश्यकताओं को पूरा करना।

vi. ग्राहकों को आकर्षित करने और केवीआई उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अवसरों/त्योहारों पर विशेष छूट की घोषणा की गई है।

vii. वैश्विक स्तर पर ब्रांड 'खादी' की पहचान को बनाए रखने के लिए, केवीआईसी ने 15 देशों में ट्रेडमार्क 'खादी' के लिए पंजीकरण और 31 देशों में खादी लोगो के लिए पंजीकरण प्राप्त किया है।

*****